राजस्थान सरकार
कार्मिक (क–2) विभाग

1. समस्त अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ठ शासन सचिव।
2. समस्त विभागाध्यक्ष (संभागीय आयुक्त एवं जिला कलक्टर्स) सहित।

क्रमांक–प. 4(1)कार्मिक/क–2/अ.प्र./2006 पार्ट जयपुर, दिनांक 21 NOV 2019

विषयः–राज्य के समस्त संवर्गों की वरिष्ठता सूची जारी कर डीपीसी आयोजित किये जाने के सम्बन्ध में।

संदर्भः–समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.04.2019

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित परिपत्र की ओर ध्यान आकर्षित कर लेख है कि कार्मिक विभाग द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिये एक अप्रैल की स्थिति में नियमानुसार वरिष्ठता सूचियां अतिशीघ्र जारी कर डीपीसी बैठक आयोजित करने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे, किन्तु कार्मिक विभाग के ध्यान में आया है कि कुछ विभागों द्वारा प्रत्येक वर्ष डीपीसी का आयोजन नहीं किया जा रहा है, जिससे कर्मचारी महासंघ द्वारा समय पर पदोन्नति दिये जाने की मांग उठायी जा रही है।

अतः समसंख्यक परिपत्र दिनांक 09.04.2019 की पालना किये जाने हेतु समस्त विभागाध्यक्षों/नियुक्ति प्राधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि वर्ष 2019–20 हेतु दिनांक 01.04.2019 की स्थिति में सभी संवर्गों की वरिष्ठता सूचियां जारी कर डीपीसी की बैठक आयोजित की जाकर यथाशीघ्र पदोन्नति की कार्यवाही सम्पादित करावें।

भवदीया,

www.rajteachers.com

(रोली सिंह)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, राजस्थान।
2. सचिव, राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर।
3. उप सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (क–5) विभाग को उनकी अशा. टीप. सं. प. 10(2) कार्मिक/क–5/2019 दिनांक 01.11.2019 के क्रम में।

५२/2019

(जय सिंह)
शासन उप सचिव

Jyoti/2019//Letter//17